

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 04, मंगलवार, शके 1947- अगस्त 26, 2025 Bhadra 04, Tuesday, Saka 1947- August 26, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2025

संख्या प.10(195) नविवि/3/2010 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.08.2010 द्वारा अधिसूचित "नदबई, जिला भरतपुर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर पालिका, नदबई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों एवं आमजन से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि नदबई के नगरीय क्षेत्र अनुमोदित मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) अनुमोदन कर दिया गया है।

नदबई मास्टर प्लान-2031 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगरपालिका नदबई में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग की Website: <https://urban.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।